E-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (5) अपील–10/2023............................ 6519 दि0 18/08/2023

आदेश

प्रस्तुत अपील ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री अंकित कुमार आनंद, (Emp. ID No.-AEN02140), विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा' पारित आदेश सं0–4716 दिनांक–23.12.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री अंकित कुमार आनंद को अपील की सुनवाई की निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल द्वारा दी गई। निर्धारित तिथि 13.06.2023 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उभयपक्ष उपस्थित। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की ओर से मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

आरोपित श्री अंकित कुमार आनंद द्वारा दायर अपील व अन्य दस्तावेज के अवलोकन में पाया गया कि अररिया जिलान्तर्गत चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों के दौरान रैयतों से सर्वेक्षण कार्यों के निष्पादन हेतु विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा राशि की मांग करने संबंधी विडियो वायरल हुआ।

उक्त वायरल विडियो में रैयतों द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप में निदेशालय पत्रांक–3096 दिनांक–08.11.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण प्रतियुत्तर ससमय दाखिल किया गया है। प्राप्त प्रतियुत्तर में श्री आनंद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय नागरिक मो0 जाबीर का गलत कार्य न करने से मना करने पर षडयंत्र के तहत ग्रामीणों के साथ मिलकर विडियो वायरल किया गया है तथा विडियो में लगाये गये आरोप को निराधार व बेबुनियाद है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया के पत्र संख्या–783 दिनांक–11.11.2022 के साथ सलंग्न थाना प्रभारी, भरगामा द्वारा किये गये संयुक्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1110 दिनांक–09.11.2022 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जाँच दल द्वारा अंकित किये गये है कि उक्त विडियो को निजी स्वार्थ में वायरल कराये गये है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।

वायरल विडियो में रैयतों द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर लगाए गए आरोप की जाँच हेतु निदेशालय पत्रांक–4188 दिनांक–22.11.2022 द्वारा राजस्व अधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी है। जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अमीन द्वारा सर्वेक्षण कार्य में रैयतों द्वारा दी गयी कागजात यथा–केवाला, जमाबन्दी आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि जाँच की सूचना एक दिन पूर्व ही दी गयी थी। आरोप लगा रहे रैयत से संबंधित खातों का साक्ष्य मांगने पर भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अपने कथन में निरंतर बदलाव करते हुए भ्रामक व गुमराह करने की कोशिश की गयी। जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में भी अमीन की शिकायत प्राप्त होती रही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के संदर्भ में आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण, जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, अंचल अधिकारी व थानाध्यक्ष का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन तथा निदेशालय मंतव्य की समीक्षा की गयी, समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ऐसे कोई भी साक्ष्य आरोपित द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे इनके भ्रष्टाचार संबंधी मामले को खंडित करता हो, अंचल अधिकारी व थानाध्यक्ष द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में भी रैयतों द्वारा वायरल विडियो में लगाए गए रूपये पैसों की लेन–देन का भ्रष्टाचार की विमुक्ति जैसी कोई टिप्पणी अंकित नहीं किया गया है।

वस्तुतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा वर्णित मामले में लिये गये निर्णय यथोचित है। सर्वेक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य जो आम रैयतों के बीच रह कर करना हैं, में भ्रष्टाचार किया जाना सरकारी कार्य की विश्वसनीयता को धूमिल करता है, ऐसे कर्मी को सेवा में बनाये रखना मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ाना है।

अतः श्री अंकित कुमार आनंद, (Emp. ID No.- AEN02140), विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–10/2023....6519.......**पटना, दिनांक** :–18/08/2023

प्रतिलिपिः– श्री अंकित कुमार आनंद, (Emp. ID No.- AEN02140), (संविदा समाप्त) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया, Email- ankitka021@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

16/8/23

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–10/2023....6519.......**पटना, दिनांक** :–18/08/2023

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

16/8/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–10/2023....6519.......**पटना, दिनांक** :–18/08/2023

प्रतिलिपिः– संबंधित स्थापना सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/8/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–10/2023 6519 **पटना, दिनांक :–** 18/08/2023

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/8/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–10/2023 6519 **पटना, दिनांक :–** 18/08/2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/8/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप